

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर (म.प्र.)

-: संशोधित आदेश :-

क्र.- 6/एक-11-1/97/(S.W.)

जबलपुर दिनांक-25 जनवरी 2023

माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर के ज्ञापन क्र.-सी/535/तीन-6-4/57-42 जबलपुर दिनांक 20.01.2023 के पालन में सिविल एवं आपराधिक कार्य विभाजन पत्रक, जो दिनांक 03 जनवरी 2023 को जारी किया गया है उसमें आंशिक संशोधन किया जाता है, जो तत्काल प्रभावशील होगा।

01. सरल क्र. 16 में दर्शित न्यायालय सोलहवां जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश जबलपुर के कॉलेम नं0 04 में दर्शित आपराधिक विषयक क्र. 04 विलोपित किया जाता है।
02. सरल क्र. 24 में दर्शित न्यायालय चौबीसवां जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, जबलपुर के कॉलेम नं0 04 में दर्शित आपराधिक विषयक 01 के पश्चात निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है—
 02. म.प्र. विशेष न्यायालय अधिनियम 2011 एवं नियम 8(1) म.प्र. विशेष न्यायालय अधिनियम सन 2012 हेतु भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत (विशेष न्यायालय क्र. 01) राजस्व जिला सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, सतना, उमरिया, डिण्डौरी, शहडोल तथा अनूपपुर के समाविष्ट क्षेत्रों से उदभूत होने वाले विशेष प्रकरण एवं अन्य प्रकीर्ण कार्यवाहियों।




प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जबलपुर

पृष्ठा. क्र. 479/एक-11-1/97/(S.W.)

जबलपुर दिनांक-27 जनवरी 2023

- 01- रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
- 02- प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर,
- 03-जबलपुर
- 04- फाईलिंग अनुभाग, जिला न्यायालय, जबलपुर
- 05- सचिव, जिला अधिवक्ता एवं तहसील अधिवक्ता संघ, जबलपुर,
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जबलपुर